न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :– रामरतन सौंकरिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 38/2023

मोहर सिंह पुत्र खींवाराम, उम्र 61 साल, जाति जाट, निवासी ढाणी खरबासा की, तन गुढागौड़जी, ग्राम पंचायत गुढा बावनी, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुंझुनू, (राज0)।

–अपीलान्ट–

–बनाम–

1. सरिता देवी पत्नी प्रकाश जाति जाट निवासी ढाणी खरबासा की, तन गुढागौड़जी, ग्राम पंचायत गुढा बावनी, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुंझुनू, (राज0)।
2. विवेक चौधरी दत्तक पुत्र रिछपाल, जाति जाट निवासी ढाणी खरबासा की, तन गुढागौड़जी, ग्राम पंचायत गुढा बावनी, तहसील गुढागौड़जी, जिला झुंझुनू, (राज0)।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गुढा गौड़जी,जिला झुन्झुनू (राज0)।

–रेस्पोंडेंट–

अपील विरूद्ध निर्णय 31.07.2023 न्यायालय तहसीलदार गुढा गौड़जी, जिला झुझुनू मुकदमा उनवानी सरिता देवी आदि बनाम मोहर सिंह मुकदमा नंबर 2/ 2018, प्रार्थना पत्र अं0 धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधि0

उपस्थितिः–

1. श्री रविराज सिंगोदिया, एडवोकेट –– ––––––––अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री अरविन्द सैनी, एडवोकेट–––––––– रेस्पोन्डेन्ट नंबर 1 व 2 की ओर से।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अधिवक्ता ––––– राज0 सरकार की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 30/7/24

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि – अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढागौड़जी ने दिनांक 31.7.2023 को अपना निर्णय पारित करते वक्त आदेश दिया कि–'' प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अं0 धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाकर प्रकरण में दिनांक 23.2.2018 को पारित निर्णय को यथावत रखा जाता है। पटवारी खरबासा की ढाणी, हल्का व आई.एल.आर.गुढागौड़जी को आदेश की पालना हेतु तहरीर जारी हो।'' इस प्रकार का आदेश जारी किया है जो विरूद्ध कानून व पत्रावली होने से निरस्त होने योग्य है, क्योंकि विचारण न्यायालय तहसीलदार गुढ़ा–गौड़जी इस प्रकरण की ट्रायल कोर्ट थी और उसके पास प्रकरण माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर झुंझुनू के मु0नंबर 41/2018 में दिनांक 28.2.2022 को पारित निर्णय की पालना में प्रकरण दिनांक 19.9.2022 को तहसीलदार गुढा को प्रकरण प्राप्त हुआ है। पत्रावली श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुंझुनू से इन निर्देशों के साथ प्राप्त हुई कि तहसीलदार उदयपुरवाटी विवादित भूमि का स्वयं मौका निरीक्षण कर प्रकरण में आवश्यक कार्यवाही पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। जिस पर प्रकरण तहसीलदार गुढा गौड़जी के क्षेत्राधिकार का होने पर, प्रकरण दर्ज किया जाकर नोटिस जारी के आदेश किये गये तथा पत्रावली 14.10.2022 को रखी गयी। परन्तु कानूनी प्रावधानों की अनदेखी कर रेस्पोडेन्ट नंबर 3 ने इस प्रकार निर्णय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:52:41 IST
Reason: Self Attested

पारित किया है, जैसे वह अपीलीय न्यायालय हो और तहसीलदार उदयपुरवाटी के निर्णय की व्याख्या करते हुये गुणागुण पर निर्णित कर उसको यथावत रखा जाने का आदेश पारित किया है, जो विरूद्ध विधि व क्षेत्राधिकार के खिलाफ है। विचारण न्यायालय ने अपीलांट कोर्ट के निर्देशों की कोई पालना नहीं की, जबकि अपीलीय न्यायालय का आदेश था कि तहसीलदार स्वयं मौके पर जाकर विवादित भूमि का निरीक्षण करे और पक्षकारान को समुचित सुनवाई का मौका दें, लेकिन तहसीलदार न तो मौके पर ही गये और ना ही अपीलांट या अन्य लोगों को बिना सुने ही यह आदेश पारित कर दिया जो विधि विरूद्ध है।

अपीलांट ने आगे कथन किया है कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 12.7.2023 की आई.एल.आर. गुढागौड़जी से प्राप्त फर्द मौका रिपोर्ट को आधार मानकर रेस्पो. 1 लगायत 2 के हक में आदेश पारित कर दिया। आई.एल.आर. गुढा की रिपोर्ट कानूनन मौका जांच रिपोर्ट की संज्ञा में नहीं आती। मौका जांच रिपोर्ट तैयार करने से पहले अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया, अपीलांट की गैर मौजुदगी में बनायी गई रिपोर्ट कानूनन कोई अहमियत नहीं रखती। रिपोर्ट दिनांक 12.7.2023 में कहीं भी अंकित नहीं है कि किनकी मौजुदगी में मौका देखा गया व मौका रिपोर्ट तैयार की गई। रिपोर्ट के साथ जो नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया गया है वह रिपोर्ट दिनांक 28.7.2023 की तैयार की हुई है, जो भिन्न–भिन्न तारीखों की हैं तथा साथ में ही जो आवेदक/रेस्पोंडेन्ट नंबर 2 ने अपने खेत खसरा नंबर 82 के बाबत रास्ता खुलवाने की रिलीफ चाही है,उसमें हल्का पटवारी स्वयं जो नजरी नक्शा बनाया है,उसमें खसरा नंबर 82, 83, 84 के मध्य कटाणशुदा रास्ता खसरा नंबर 79, 80 की ओर दर्शित किया है। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 व 2 ने धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जिस रास्ता की मांग की है, वह रास्ता कानूनन कायम नहीं किया जा सकता, क्योंकि कटाणशुदा रास्ता मौके पर उपलब्ध है तो नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। हल्का पटवारी ने भूमि खसरा नंबर 77 व 78 में गहन आबादी बसी होना बताया है और आबादी में जो मकानात बने हुये हैं,उनमें आपस में आने जाने के रास्ते मौजुद हैं। किसी खेत में जाने का रास्ता भूमि खसरा नंबर 78 में से होकर नहीं है और ना ही हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 2 ने अपने आवेदन पत्र में धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत जो रिलीफ चाहीं है, उस रिलीफ के मुताबिक मौके पर कोई 18 फीट चोड़ा व 50 फीट लंबा रास्ता हो और उसमें किस तरह का अतिक्रमण करके रास्ते को संकड़ा किया गया हो, ऐसी रिपोर्ट नहीं है,सिर्फ आबादी भूमि के ही इधर–उधर जाने के घरों के रास्ते बताये हैं। केवल हल्का पटवारी व गिरदावर की रिपोर्ट को आधार बनाकर रेस्पोडेन्ट नंबर 1 व 2 के हक में अपीलांट की गुवाड़ी में से होकर कोई रास्ता नहीं दिया जा सकता। पूर्व में अपीलांट के खिलाफ तहसीलदार उदयपुरवाटी ने जो निर्णय दिनांक 19.2.2018 को पारित किया था, उस निर्णय में भी हल्का पटवारी की रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है,तब भी अपीलांट के खिलाफ झूठी तामील दिखाकर एक्सपार्टी आदेश पारित किया गया था । तहसीलदार गुढा गौड़जी के समक्ष प्रकरण दिनांक 19.9.2022 को दर्ज हुआ, उसकी तामील अपीलांट को नहीं हुई, तामील के पीछे जो मोहर सिंह हस्ताक्षर है, वो अपीलांट के नहीं हैं, तामील कुनिन्दा ने रेस्पोडेन्ट नंबर 1 व 2 से मिलकर झूठी तामील करवाकर विचारण न्यायालय से एकतरफा कार्यवाही आदेश पारित करवाकर एकतरफा निर्णय पारित करवा लिया। रेस्पोन्डेन्ट नंबर 1 सरिता ने जो आवेदन पत्र [illegible] खसरा नंबर खेत में रास्ता खुलवाना चाहती है कोई अंकन नहीं है फिर भी अ[illegible]क रूप से रिलीफ प्रदान की गयी है तथा आवेदन पत्र के साथ विवेक चौधरी का जो शपथ पत्र पेश हुआ है, वह किसी ऑथ कमिश्नर से तस्दीक नहीं है। नक्शा ट्रेस शीट ग्राम ढाणी खरबासा में जो विवादित खसरा नंबर 82 रेस्पोडेन्ट नंबर 2 ने बताये है, उसमें आबादी के खसरा नंबर 91 से रास्ता कटाण का इनके खेतों तक रास्ता जाता है, खसरा नंबर 79 जो मंदिर का है, वो काफी चौडा रास्ता है जिससे लोग आते जाते हैं, महज अपीलांट को परेशान करने के लिए उसकी गुवाडी में से होकर नया रास्ता निकलवाना चाहते हैं...आदि। अंत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Ratan Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:52:41 IST
Reason: SelfAttested

अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.7.2024 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि–" हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढा गौड़जी ने माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, झुझुनू के निर्णय दिनांक 28.2.2022 की पालना में ना तो स्वयं तहसीलदार द्वारा विवादित रास्ते की भूमि के संबंध में मौका देखा गया और ना ही अपीलांट को सुनवाई का विधिवत कोई अवसर दिया गया। तामील कुनिन्दा द्वारा अपीलांट के फर्जी हस्ताक्षर कर तामीली रिपोर्ट की गई है। तामीली रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल हल्का पटवारी एवं गिरदावर की गलत रिपोर्ट को आधार मानकर निर्णय दिनांक 31.7.2023 पारित किया है, जो अपीलीय न्यायालय की तरह आदेश जारी कर तहसीलदार उदयपुवाटी द्वारा पूर्व में पारित आदेश को यथावत रखा है। खसरा नंबर 78 में से रास्ता चाहने हेतु विवेक का दावा 251 ए का विचाराधीन है। विचारण न्यायालय ने दिनांक 12.7.2023 की आई.एल.आर. गुढागौड़जी से प्राप्त फर्द मौका रिपोर्ट को आधार मानकर रेस्पो. 1 लगायत 2 के हक में आदेश पारित कर दिया। आई.एल.आर. गुढा की रिपोर्ट कानून मौका जांच रिपोर्ट की संज्ञा में नहीं आती। मौका जांच रिपोर्ट तैयार करने से पहले अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया। रिपोर्ट के साथ जो नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया गया है वह रिपोर्ट दिनांक 28.7.2023 की तैयार की हुई है, जो भिन्न–भिन्न तारीखों की हैं तथा साथ में ही जो आवेदक/रेस्पोंडन्ट नंबर 2 ने अपने खेत खसरा नंबर 82 के बाबत रास्ता खुलवाने की रिलीफ चाही है,उसमें हल्का पटवारी स्वयं जो नजरी नक्शा बनाया है,उसमें खसरा नंबर 82, 83, 84 के मध्य कटाणशुदा रास्ता खसरा नंबर 79, 80 की ओर दर्शित किया है। रेस्पोडेन्ट नंबर 1 व 2 ने धारा 251 के तहत जिस रास्ता की मांग की है, वह रास्ता कानूनन कायम नहीं किया जा सकता, क्योंकि कटाणशुदा रास्ता मौके पर उपलब्ध है तो नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। हल्का पटवारी ने भूमि खसरा नंबर 77 व 78 में गहन आबादी बसी होना बताया है और आबादी में जो मकानात बने हुये हैं,उनमें आपस में आने जाने के रास्ते मौजुद हैं। किसी खेत में जाने का रास्ता भूमि खसरा नंबर 78 में से होकर नहीं है और ना ही हल्का पटवारी ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि रेस्पोडेन्ट 1 लगायत 2 ने अपने आवेदन पत्र में धारा 251 के तहत जो रिलीफ चाहीं है, उस रिलीफ के मुताबिक मौके पर कोई 18 फीट चोड़ा व 50 फीट लंबा रास्ता हो और उसमें किस तरह का अतिक्रमण करके रास्ते को संकड़ा किया गया हो, ऐसी रिपोर्ट नहीं है, सिर्फ आबादी भूमि के ही इधर–उधर जाने के घरों के रास्ते बताये हैं। रेस्पोन्डेन्ट नंबर 1 सरिता ने जो आवेदन पत्र में कौनसा खसरा नंबर खेत में रास्ता खुलवाना चाहती है कोई अंकन नहीं है फिर भी अनावश्यक रूप से रिलीफ प्रदान की गयी है तथा आवेदन पत्र के साथ विवेक चौधरी का जो शपथ पत्र पेश हुआ है,व किसी ऑथ कमिश्नर से तस्दीक नहीं है। नक्शा ट्रेस शीट ग्राम ढाणी खरबासा में जो विवादित खसरा नंबर 82 रेस्पोडेन्ट नंबर 2 ने बताये है, उसमें आबादी के खसरा नंबर 91 से रास्ता कटाण का इनके खेतों तक रास्ता जाता है, खसरा नंबर 79 जो मंदिर का है, वो काफी चौडा रास्ता [illegible] से लोग आते जाते हैं, महज अपीलांट को परेशान करने के लिए [illegible] नया रास्ता निकलवाना चाहते हैं। अंत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा पारित निर्णय [illegible] 31.7.2024 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि धारा 251 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में प्रचलित रास्तों को खोले जाने का प्रावधान है, वैकल्पिक रास्ते का कोई मुद्दा नहीं है। रेस्पोंडेंट ने धारा 251 ए के अन्तर्गत जो वाद प्रस्तुत किया है

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramniwas Sonkaria
Date: 2024.08.23 10:52:41 IST
Reason: SelfAttested

वह केवल रिकार्ड में रास्ता दर्ज कराने हेतु निवेदन किया गया है। हस्तगत प्रकरण पूर्व में एक बार रिमाण्ड किया जा चुका है, कानूनन दूबारा रिमाण्ड नहीं किया जा सकता। विवादित भूमि के मौके पर सड़क बनी हुई है। हल्का पटवारी व भू0अ0नि0 दोनों की रिपोर्ट यह मानती हैं कि मौके पर रास्ता चालु है। अधनीस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा अपीलांट को सुनवाई हेतु विधिक रूप से नोटिस जारी किया गया है। आपीलांट बावजुद तामिल के अनुपस्थित रहा है। अपीलांट के पास कोई साक्ष्य सबूत नहीं है। भूमि खसरा नंबर 82 की खातेदारी विवेक चौधरी पुत्र रिछपाल जाट के नाम तथा भूमि खसरा नंबर 78 की खातेदारी इन्द्रजीत सिंह, मुकेश,राकेश पुत्र रामचन्द्र वगैरह के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। खसरा नंबर 82 तक जाने वाला रास्ता खसरा नंबर 78 से होकर जाता है जिसे उसके खातेदारों ने पत्थर डालकर बंद कर दिया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

दौराने बहस राजकीय अधिवक्ता ने बताया कि अपीलांट द्वारा प्रचलित रास्ते की भूमि में पत्थर डालकर अवरोध पैदा करने पर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढ़ा गौड़जी द्वारा विधिवत कार्यवाही करते हुये अपीलांट को नोटिस जारी कर विवादित स्थाल की मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त कर पुराने प्रचलित रास्ते को खोले जाने का आदेश पारित किया है। पारित आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे।

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को देखा गया। बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। हस्तगत प्रकरण में हाजा न्यायालय द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 28.2.2022 में दिये गये निर्देशों की पालना में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढा गौड़जी के यहां प्रकरण दर्ज हुआ है। अपीलांट को विधिवत नोटिस जारी किया गया है । हल्का पटवारी एवं हल्का गिरदावर से विवादित स्थल की मौका जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई है। हल्का पटवारी एवं हल्का गिरदावर की रिपोर्ट के मुताबिक अपीलांट द्वारा प्रचलित रास्ते में पत्थर डालकर उसे संकड़ा कर दिया गया है जिससे अन्य काश्तकार लोगों के आवागमन में बाधा उत्पन्न हो रही है। अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय एवं हाजा न्यायालय के समक्ष ऐसी कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई जिससे प्रचलित रास्ते पर उसके द्वारा पत्थर डालकर किया गया अतिक्रमण वैध साबित होता हो। हस्तगत प्रकरण हाजा न्यायालय द्वारा पूर्व में रिमाण्ड हो चुका है तथा अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट को सुनवाई हेतु दो बार विधिवत अवसर दिये जा चुके हैं। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढा गौड़जी द्वारा पारित निर्णय दिनांक 31.7.2023 में कोई विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होने से अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुढा गौड़जी का निर्णय दिनांक 31.7.2023 बउनवानी सरितादेवी आदि बनाम मोहरसिंह मु0नं0 02/18,पुनःदर्ज 08/2022 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 30/7/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Ratan Sankaria
Date: 2024.08.23 10:52:41 IST
Reason: SelfAttested

(रामरतन सांकरिया)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू।